ग्राम पंचायत घोडन, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घोडन विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बलवान सिंह	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति प्रवीन कुमारी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री करतार चन्द	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत घोडन के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	खाता–ख के ब्याज को खाता खाता–क में अन्तरित न करना	0.30
2.	9	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.43
3.	10	अनुदानों का उपयोग न करना	11.11
4.	12	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना व्यय	9.95

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत घोडन, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.8.2016 से 5.8.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 3/15, 8/15 व 7/13, 12/14, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत घोडन, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 124, दिनांक 5.8.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत घोडन से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत घोडन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :—

ग्राम पंचायत घोडन के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	52704	32891	85595	71872	13723
2014—15	13723	65221	78944	48785	30159

2015–16	30159	30898	61057	50522	10535

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत घोडन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	279188	3269349.00	3548537.00	3343145	205392.00
2014–15	205392	2312573.00	2517965.00	2304522	214443.00
2015–16	214443	3101744.50	3316187.50	2205589	1110598.50
	दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का अन्तशेष				**₹1121133.50**

4. 1. बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घोडन द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹110 का अन्तर था। अतः पंचयत की रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था।

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	खाता सं0/Bank	राशि
1.	Own Source	20076007044 KCCB Indora	19799
2.	VKVNY/MPLAD	50055694661 –do-	58904
		50055694678 –do-	3931
3.	MANREGA	20076007094 –do-	0
4.	I.A.Y	5055694627 –do-	0
5.	Water Shed	20092002885 K.C.C.B-Damtal	20029
		20092002965 –do-	2269
6.	IWMP-10	32069360808 SBI Indora	83823
		32069361541 –do-	16555
7.	TSC	50055694616 KCC Indora	861
8.	V.M.J.S	50055694649 –do-	2553
9.	3rd state Rinananu	50055694672 –do-	1416
10.	13th Rin	50055694582 –do-	830561

11.	S.D.P.	50055694583 –do-	80383.50
		हस्तगत राशि	**₹159.00**
		कुल	**₹1121243.50**

अन्तशेष का विवरण

दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹1121133.50
अन्तर	**₹110**

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही व विभिन्न बैंकों में खाते खोले गए थे। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. खाता (ख) में अर्जित ₹0.30 लाख ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह : जनवरी व जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में आन्तरिक किया जाना अपेक्षित था, किन्तु बैंक खातों की जांच करने पर पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता (ख) से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे, जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता (ख) के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता (क) में आन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

अर्जित ब्याज का विवरण :–

क्र0 सं0	निधि का नाम	वर्ष			
		2013–14 (₹)	2014–15 (₹)	2015–16 (₹)	कुल (₹)
1.	मनरेगा	4811	–	–	
2.	IAY	25	591	475	
3.	TSC	43	4	719	
4.	MPLAD	852	1159	1627	
5.	Water Shed	4489	1830	868	
6.	IWMP-10	2230	439	2053	
7.	VMJS	2082	281	190	
8.	3rd State Fin	–	22	22	
9.	13th Fin	–	3287	1648	
10.	S.D.P.	–	195	191	
	Total	**₹14532**	**₹7808**	**₹7793**	**₹30133**

7. वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारे :–

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्‌देश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाईड ऐवस्ट्रैक्ट का का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

8. कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलबध न करवाने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वस्त्रोत गृहकर भू–राजस्व कर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी,

जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. पंचायत राजस्व ₹0.43 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹.42853 की वसूली शेष थी।

1. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	शून्य	6849	6849	1297	5552
2014–15	5552	6849	12401	–	12401
2015–16	12401	6849	19250	1297	17953

2. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	11080	**13695**	**24775**	**4740**	**20035**
2014–15	20035	13695	33730	25525	8205
2015–16	8205	16695	24900	–	24900

3. शराब कर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	शून्य	6930	6930	6930	शून्य
2014–15	शून्य	13132	13132	13132	शून्य

नोटः–

वर्ष 2015–16 में राशि प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10. अनुदान ₹11.11 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1110598 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹13.50 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिषिष्ट–2 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1350000 का व्यय तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹994826 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. सहभागी समिति न बनाए जाने बारे :–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक सहभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा

रही है। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17. **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),16/2016 खण्ड–5434–5434 दिनांकःअ 14.10. 2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत घोडन, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत घोड़न

विकास खण्ड इन्दौरा

परिषिष्ट ''2'' (पैरा संख्या : 11 में सन्दर्भित)

निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किए बिना ₹13.5 लाख का व्यय

निधिः—मनरेगा

क्रमांक	कार्य का नाम	राशि ₹
1.	भू—संरक्षण कार्य क्रेट वर्क साउंस (Sounce) रबड़ मलासन	800000
2.	सिंचाई कूहल गांव मलोट	250000
3.	जीप सड़क व सुरक्षा दीवार धोड़न हरिजना	300000
		₹1350000

ग्राम पंचायत घोड़न

विकास खण्ड इन्दौरा

परिषिष्ट ''3'' (पैरा संख्या : 12 में सन्दर्भित)

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

निधि:–मनरेगा

क्रमांक	वा0 सं0/ दिनांक	विवरण	₹
1.	45, 29.12.2014	मैसर्ज हुसैन शटरिंग स्टोर भोजपुर से खरीदा गया (बजरी व पत्थर) Aggricate 60m³@700m³	42000
2.	46, 29.12.2014	मैसर्ज हुसैन शटरिंग स्टोर भोजपुर से खरीदा गया पत्थर 171m³@750m³	128250
3.	47, 29.12.2014	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई तार बिल नंबरः 271, दिनांक 18.5.2013	86576
4.	50, 29.12.2014	मैसर्ज हुसैन शटरिंग स्टोर से खरीदा गया रेत, बजरी व पत्थर) 65m³@700m³ Bill No. 028, Dt. 8.12.14	45500
5.	65, 8.9.2015	मैसर्ज हुसैन शटरिंग स्टोर से खरीदा गया रेत, बजरी व पत्थर) बिल नंबरः 112, दिनांक 5.6.2015 60m³@700m³	455000
			₹347826

निधि:–IWMP

क्रमांक	वा0 सं0/ दिनांक	विवरण	₹
1.	6, 23.8.2013	मैसर्ज हुसैन शटरिंग स्टोर भोजपुर से खरीदा गया रेत व बजरी 60m³@700m³	42000

निधि:– सामान्य निधि

1.	25, 22.6.2013	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई Inter Lock टाईल बिल संख्या : 44, दिनांक 15.6.2013	80000
2.	27, 22.6.2013	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई	112000

		Inter Lock टाईल बिल संख्या : 43, दिनांक 15.6.2013	
3.	28, 22.6.2013	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई Inter Lock टाईल बिल संख्या : 45, दिनांक 15.6.2013	30000
4.	29, 22.6.2013	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई Inter Lock टाईल बिल संख्या : 46, दिनांक 15.6.2013	48000
5.	30, 22.6.2013	मै0 अशीश स्टील इण्डस्ट्रीज डमटाल से खरीदी गई Inter Lock टाईल बिल संख्या : 47, दिनांक 15.6.2013	15000
6.	33, 3.7.2013	मै0 हुसैन शटरिंग स्टोर बिल संख्या : 44, दिनांक 3.7. 2013 Inter Lock Tiles	320000
		योग	**₹994826**